

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2014/ ज्येष्ठ 12, 1936

No. 293]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2014/JYAISTHA 12, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 21 मई, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएं) (संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 374(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा (2) के खंड (एच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 25/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाएँ) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2278 GI/2014 (1)

2. विनियमों में संशोधन: -

विनियम 5ए के बाद निम्नानुसार विनियम 5बी अंतर्निहित किया जाएगा:

<u>"भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को करेंसी फ्यूचर्स अथवा एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शन्स में भाग लेने</u> के लिए अनुमति

भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति, जो समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा.20/2000-आरबी (3 मई 2000 के जी. एस. आर. 406(अ)) की अनुसूचियों 2, 5, 7 और 8 में यथा निर्धारित प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए पात्र है, जोखिम के एक्सपोज़र को हेज करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में यथा घोषित शर्तों के अधीन प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में करेंसी फ्यूचर्स अथवा एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी आप्शन्स में भाग ले सकता है।"

[सं. फेमा. 303/2014-आरबी] एस.एम. पिल्लई, प्रभारी महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-1. मूल विनियमावली 8 मई 2000 के जी.एस.आर.सं.411(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी –

28.09.2000 के सा.का.नि.सं. 756(अ)

09.04.2002 के सा.का.नि.सं. 264(अ)

19.08.2002 के सा.का.नि.सं. 579(अ)

18.03.2003 के सा.का.नि.सं. 222(अ)

09.07.2003 के सा.का.नि.सं. 532(अ)

11.11.2003 के सा.का.नि.सं. 880(अ)

11.11.2003 के सा.का.नि.सं. 881(अ)

28.12.2005 के सा.का.नि.सं. 750(अ)

19.04.2006 के सा.का.नि.सं. 222(अ)

19.04.2006 के सा.का.नि.सं. 223(अ)

07.12.2007 के सा.का.नि.सं. 760(अ)

05.08.2008 के सा.का.नि.सं. 577(अ)

23.06.2009 के सा.का.नि.सं. 440(अ)

14.12.2009 के सा.का.नि.सं. 895(अ)

27.07.2010 के सा.का.नि.सं. 635(अ)

03.08.2012 के सा.का.नि.सं. 608(अ)

30.12.2012 के सा.का.नि.सं. 799(अ)

23.05.2013 के सा.का.नि.सं. 330(अ)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st May, 2014

Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 374(E).— In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA 25/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulations:

After Regulation 5A Regulation 5B shall be inserted as below:

"Permission to a person resident outside India to enter into currency futures or exchange traded currency options

A person resident outside India who is eligible to invest in securities as laid down in Schedules 2, 5, 7 and 8 of Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person resident outside India) Regulations, 2000 (FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 (GSR 406 (E) dated May 3, 2000)) as amended from time to time, may enter into currency futures or exchange traded currency options contracts on a stock exchange recognised under section 4 of Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 to hedge an exposure to risk, subject to such terms and conditions as may be set forth in the directions issued by the Reserve Bank of India from time to time."

[No.FEMA 303/2014-RB]

S. M. PILLAI, General Manager In-charge

Footnote:-1. The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.411(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide -

G.S.R.No. 756(E) dated 28.09.2000

G.S.R.No. 264(E) dated 09.04.2002

- G.S.R.No. 579(E) dated 19.08.2002
- G.S.R.No. 222(E) dated 18.03.2003
- G.S.R.No. 532(E) dated 09.07.2003
- G.S.R.No. 880(E) dated 11.11.2003
- G.S.R.No. 881(E) dated 11.11.2003
- G.S.R.No. 750(E) dated 28.12.2005
- G.S.R.No. 222(E) dated 19.04.2006
- G.S.R.No. 223(E) dated 19.04.2006
- G.S.R.No. 760(E) dated 07.12.2007
- G.S.R.No. 577(E) dated 05.08.2008
- G.S.R.No. 440(E) dated 23.06.2009
- G.S.R.No. 895(E) dated 14.12.2009
- G.S.R.No. 635(E) dated 27.07.2010
- G.S.R.No. 608(E) dated 03.08.2012
- G.S.R.No. 799(E) dated 30.12.2012
- G.S.R.No. 330(E) dated 23.05.2013